"CERTIFICATE OF LAND OWNERSHIP AS PER REVENUE RECORD"

It is certified that Shri Shyam Lal son of Shri Shanker Dass and Shashi Bala wife of Shri Shyam Lal, r/o Sirsa, Tehsil and District Sirsa, and Subhash chand S/o Hazari Lal and Maya Devi W/o Subhash Chand and Gurmeet Kaur W/oKashmir Singh and Smt. Kaushalya Devi wife of Late Sh. Assa Ram all residents of Sirsa Tehsil and Distt. Sirsa. is/are in ownership of land measuring 3052.61 Sq. Yards in the revenue estate of Sirsa having the description as under:-

Khatoni No.	Khewat/Khasra No.	Sq.No.	Killa No.	Rakba
277	370	25	9/3/1/4/2	20.16 Sq.Yards
356	465	25	10/3/2	430 Sq.Yards
277	370	25	10/3/2/2	322.66 Sq.Yards
277	370	25	9/3/2	322.66 Sq.Yards
277	370	25	10/3/2/2	322.66 Sq.Yards
236	325	25	10/3/1/3	266.88 Sq.Yards
275	368	25	9/3/1/4/2	20.16 Sq.Yards
277	370	25	9/3/2	322.66 Sq.Yards
		25	2/1/1 2/3/1	215.11 Sq.Yds
260	352	25	10/3/1/2	229.33 Sq.Yds
260	352	25	10/3/1/2 10/3/1/1	229.33 Sq.Yds
677	822	19	12/3 12/2	151 Sq Yards

Further certified that this land is leased for 20 years from 11.03.2008 to 11.03.2028 to **NEW SATLUJ EDUCATION SOCIETY SIRSA**, which is running the **NEW SATLUJ SCHOOL** at **Shakti Nagar, Sirsa**. The said school is situated on the fore-mentioned land which is in contiguous (Single piece of Land). This is based on the revenue record.

Naib Tehsildar
Sirsa 30/11/16

Signatures/Stamp

Tehsildar/Circle Revenue Officer

*if the land is having more than one piece and situated at different places, then mention the distance from the main plot on which school building is situated.

Non Judicial

Indian-Non Judicial Stamp
Haryana Government

Date : 23/07/2025

Certificate No. U0W2025G249

GRN No. 137234857

Stamp Duty Paid : ₹ 300
(Rs. Only)

Penalty : ₹ 0
(Rs. Zero Only)

Seller / First Party Detail

Name: Shashi bala Wife of shyam lal sachdeva

H.No/Floor : 00 Sector/Ward : 20 LandMark : Part 1 huda

City/Village : Sirsa District : Sirsa State : Haryana

Phone: 94******37

Buyer / Second Party Detail

Name : New satluj education society

H.No/Floor : 00 Sector/Ward : 00 LandMark : 00

City/Village: Vaidwala District : Sirsa State : Haryana

Phone : 94******37

Purpose : LEASE DEED

Joint-Sub-Registrar
SIRSA

The authenticity of this document can be verified by scanning this QrCode Through smart phone or on the website https://egrashry.nic.in

4642

219280
28/7/25

Registrar

पट्टा नामा भूमि वाक्या गांव वेदवाला तहसील व जिला सिरसा बराये मियाद तीस वर्ष दिनांक 23—07—2025 से दिनांक 22—07—2045 तक बतर्कर **वार्षिक बिलमुक्ता लगान** 2000/-रूपये रूबरू एस. आर. साहब. निल, स्टाम्प 300/-रूपये(e Stamp Certificate No-U0W2025G249 Dt 23-07-2025)

शशी बाला प्रथम पक्ष
(पटटा देहिन्दा)

न्यूँ सतलुज ऐजुकेशन सोसायटी सिरसा पट्टा गरीन्दा द्वितिय पक्ष
बजरीया श्याम लाल सचदेवा सचिव (आ० नं० 7163 3622 0399) ...2

प्रलेख क्र.:4642 मुद्रण दिनांक 28/07/2025 03:53 PM पंजीकरण दिनांक:28-0

वसीका संबंधी विवरण

वसीका का नाम LEASE

तहसील/सब-तहसील- सिरसा गांव/शहर- वैदवाला स्थित- वैदवाला

शहरी - म्युनिसिपल क्षेत्र सीमा के बाहर अन्य क्षेत्र

पता : vaidwala

धन संबंधी विवरण

राशि- 2000 रुपये कुल स्टाम्प शुल्क- 180 रुपये

स्टाम्प नं- U0W2025G249 स्टाम्प का मूल्य- 300 रुपये

रजिस्ट्रेशन फीस- 100 रुपये EChallan:137265611 पेस्टिंग शुल्क- 3 रुपये

द्वारा तैयार किया गया- vinod beniwal सेवा शुल्क- 200

खेवट नम्बर :- 473/9,473/8,532

भवन का विवरण

कृषि नहरी 18 Kanal 12 Marla

यह प्रलेख आज दिनांक 28-07-2025 दिन सोमवार समय 3:51:00 PM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी शशी बाला पत्नी श्याम लाल सचदेवा निवास सिरसा द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया |

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

शशी बाला

Joint Sub-Registrar SIRSA
संयुक्त उप पंजीयन अधिकारी Sirsa

प्रलेख में वर्णित क्षेत्र नगर एवं ग्रामीण आयोजना विभाग के अधिनियम 1975 की धारा 7-ए के अंतर्गत अधिसूचित है इसलिए दस्तावेज को पंजीकृत करने से पूर्व सबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है

या

प्रलेख में वर्णित क्षेत्र नगर एंव ग्रामीण आयोजना विभाग के अधिनियम 1975 की धारा 7-ए के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है इसलिए दस्तावेज को पंजीकृत करने से पूर्व सबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है |

शशी बाला दिनांक 28-07-2025 संयुक्त उप पंजीयन अधिकारी Sirsa

Joint Sub-Registrar SIRSA

उपरोक्त पटटा लेने वाला व श्री/श्रीमती/कुमारी न्यू सतलुज ऐजुकेश सोसायटी सिरसा thru श्याम लाल सचदेवा सचिवOTHER हाजिर है | प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यों को दोनों पक्षों ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया | प्रलेख के अनुसार 0 रुपये की राशि पटटा लेने वाला ने मेरे समक्ष पटटा देने वाला को अदा की तथा प्रलेख मे वर्णित अग्रिम अदा की गई राशि के लेन देन को स्वीकार किया | दोनों पक्षों की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी सौरभ मैहता एडवोकेट पिता 0 निवासी सिरसा व श्री/श्रीमती/कुमारी प्रवीन कुमार पिता रघबीर सिंह निवासी सिरसा ने की | साक्षी सं. 1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप मे जानते है तथा वह साक्षी सं. 2 की पहचान करता है |

दिनांक 28-07-2025 संयुक्त उप पंजीयन अधिकारी Sirsa

Joint Sub-Registrar SIRSA

:-2-:

हम **शशी बाला धर्मपत्नी श्री श्याम लाल सचदेवा पुत्र श्री शंकर दास निवासी # 57 सै० 20 पार्ट-1 हुडा कालोनी सिरसा** पट्टा देहिन्दा प्रथम पक्ष (आ० नं० 6586 2327 5472)

वा

न्यूँ सतलुज ऐजुकेशन सोसायटी सिरसा पट्टा गरीन्दा द्वितिय पक्ष.... के है,

जो कि **वाक्या गांव वेदवाला तह० वा जिला सिरसा**

1-: भूमि जमाबन्दी साल **2021–2022** खेवट नं० **473/9** खतौनी नं० **712/9** मुरब्बा नं० **36** किला नं० **15/1(3–16), 5(7–12), 6/1(6–19),** किते-3 रकबा **18** कनाल **7** मरले नहरी सालम (11,101 Sq Yard)

2-:खेवट नं० **473/8** खतौनी नं० **712/8** मिन मुरब्बा नं० **36** किला नं० **15/3(0–3),15/5(0–3),** किते-2 रकबा **0** कनाल **6** मरले का **37/54** भाग बाकदर रकबा 4 मरले 1 सरसाई नहरी सालम(**124/181 Sq Yard 124 Sq Yard**) (4/6 भाग)

3-: खेवट नं० **532** खतौनी नं० **772** मुरब्बा नं० **37** किला नं० **11/2/2/1** रकबा **6** मरले का **16/54** भाग बाकदर रकबा **1** मरला **7** सरसाई (**53/181 Sq Yard 53 Sq Yard**) (1/6 भाग)

शशी बाला प्रथम पक्ष (पटटा देहिन्दा)	न्यूँ सतलुज ऐजुकेशन सोसायटी सिरसा पट्टा गरीन्दा द्वितिय पक्ष बजरीया श्याम लाल सचदेवा सचिव (आ० नं० **7163 3622 0399**)

...3

कुल रकबा 18 कनाल 12 मरले 8 सरसाई बजरीया इन्तकाल नं० 5873 मजूंरशुदा के अनुसार मलकीयती वा मकबूजा प्रथम पक्ष की बिला बार वा बिला तनाजा हैं, भूमि उपरोक्त किसी हुकम अदालत मेहकमा या बैक या फर्म या सोसायटी आदि-आदि के जेर असर नही है, प्रथम पक्ष को हर प्रकार से भूमि के इंतकाल का हक हासिल है, कोई कानूनी रूकावट पट्टा करने मे नही है, सो प्रथम पक्ष ने अपनी मलकीयत **भूमि उपरोक्त 18 कनाल 12 मरले 8** सरसाई सालम मय जुमला हक व हकूक हर प्रकार रास्ता हक वा हकूक हर प्रकार आदि-आदि हर प्रकार बतर्कर 2,000/-रू० वार्षिक लगान के दर से अज दिनांक 23—07—2025 से दिनांक 22—07—2045 तक **बराये मैयाद तीस वर्ष** तक के लिए बराये स्कूल के भवन का निमार्ण करके स्कूल को चलाने के लिये द्वितिय पक्ष को पट्टा पर दी है, कब्जा भूमि खाली उक्त का मौका पर प्रथम पक्ष ने द्वितिय पक्ष को दे दिया है, वा द्वितिय पक्ष ने भूमि का कब्जा बाहैसीयत पट्टे दार के प्रथम पक्ष से संभाल लिया है, रकम ठेका द्वितिय पक्ष प्रथम पक्ष को हर वर्ष की 23 जुलाई तक अदा करके रसीद हासिल करता रहेगा, बिला रसीद या जुबानी कोई रकम लगान (रकम ठेका) अदा नही माना जायेगा, ना ही मुजरई होगा, द्वितिय पक्ष द्धारा हस्ब इकरार प्रथम पक्ष को प्रत्येक वर्ष की 23 जुलाई तक रकम ठेका अदा करते रहने पर प्रथम पक्ष मियाद पटटा से पहले बेदखली नही करवा सकेगी, बासूरत अदम अदाये जर लगान (वार्षिक ठेका) प्रथम पक्ष को द्वितिय पक्ष से बजरिया अदालत वसूली करने का हक हासिल होगा, किन्तु द्वितिय पक्ष को मैयाद पटटा से पहले प्रथम पक्ष बेदखल नही

शशी बाला प्रथम पक्ष
(पटटा देहिन्दा)

न्यूँ सतलुज ऐजुकेशन सोसायटी सिरसा पट्टा गरीन्दा द्वितिय पक्ष
बजरीया श्याम लाल सचदेवा सचिव (आ० नं० 7163 3622 0399)

...4

करवा सकेगी,यदि प्रथम पक्ष को रकम लगान (वार्षिक ठेका) बजरिया अदालत वसूली करनी पडे तो दावा दीवानी की सूरत में प्रथम पक्ष के तमाम हर्जा खर्चा हर प्रकार की अदायगी द्वितिय पक्ष कें जिम्मे होगी, द्वितिय पक्ष को पूर्ण अधिकार होगा कि वह भूमि उपरोक्त में स्कूल के भवन का निमार्ण करवाने का वा स्कूल को इस नये भवन में चलाने का अधिकार हासिल होगा।भूमि उपरोक्त में द्वितिय पक्ष को स्कूल के लिये भवन निर्माण करने का वा खेल का मैदान वा प्रार्थना ग्राउंड बनाने का वा पेयजल की सुविधा के लिये पानी का टेक बनवाने वा अन्य जो भी सुविधाये स्कूल को आवश्यक होगी बनवाने का पूर्ण अधिकार होगा। द्वितिय पक्ष पटटा गरीन्दा उपरोक्त जायदाद पर किसी बैंक से या वित्तव विभाग से या वित्त निगम से उपरोक्त जायदाद पर लिमिट बनवाने का भी अधिकार होगा। द्वितिय पक्ष पटटा गरीन्दा को लाभ हो या ना हो जर पटटा निश्चित तारीख को हर वर्ष अदा करना होगा। पटटा गरीन्दा द्वितिय पक्ष को शिक्षा विभाग से उपरोक्त स्कूल जो कि **न्यॅू सतलुज ऐजुकेशन सोसायटी सिरसा** के लिये मान्यता प्राप्त करनी हो तो उसमे प्रथम पक्ष को किसी प्रकार का कोई उजर या ऐतराज नही होगा, द्वितिय पक्ष स्कूल पटटा गरीन्दा को उपरोक्त स्कूल में हर प्रकार की सुविधाये जो किसी आर्दश विद्यालय को प्राप्त होती है प्राप्त करने का अधिकार होगा वा पटटा गरीन्दा द्वितिय पक्ष को इस भूमि में अपनी लागत से भवन निर्माण करवा लेने के बाद **न्यॅू सतलुज ऐजुकेशन सोसायटी सिरसा** को इस में भूमि में चलाने का अधिकार होगा, भूमि में नई तामीर करवाने

शशी बाला प्रथम पक्ष
(पटटा देहिन्दा)

न्यॅू सतलुज ऐजुकेशन सोसायटी सिरसा पट्टा गरीन्दा द्वितिय पक्ष
बजरीया श्याम लाल सचदेवा सचिव

का द्वितिय पक्ष को पूरा-पूरा अधिकार होगा, द्वितिय पक्ष पटटा गरीन्दा को मियाद पटटा के दौरान उपरोक्त भूमि में निमार्ण स्कूल के लिये पानी कनैक्शन विद्युत कनैक्शन वा दूरभाष कनैक्शन लेने का अधिकार हासिल होगा प्रथम पक्ष को कोई आपति नही होगी, द्वितिय पक्ष को मियाद पटटादारी के दौरान भूमि उपरोक्त को आगे किसी को पटटा मुन्तकिल करने का कोई अधिकार नही होगा, मगर मियाद पटटादारी समाप्त होने पर दिनांक **22–07–2045** तक द्वितिय पक्ष तथा कायम मुकामान हर हाल में भवन खाली करके अपना मलबा उठाने के बाद भूमि को खाली करके कब्जा खाली भूमि का प्रथम पक्ष वा कायम मुकामान को वापिस देने के जिम्मेवार वा पाबन्द होगें। मियाद पट्टा तक टैक्स हर प्रकार भूमि वा भवन का द्वितिय पक्ष देने का पाबन्द वा जिम्मेवार होगा, इंतकाल कागजात माल में प्रथम पक्ष बनाम द्वितिय पक्ष दर्ज वा मंजूर करवा दिया जावेगा, यदि प्रथम पक्ष को द्वितिय पक्ष की बेदखली करवानी पडे तो दावा दीवानी के प्रथम पक्ष के तमाम हर्जा खर्चा हर प्रकार की अदायेगी का द्वितिय पक्ष जिम्मेवार होगा, पट्टा नामा की शर्ते हर दो फरीकैन तथा कायम मुकामान फरीकैन काबले पाबन्दी होगे, यदि किसी त्रुटि मलकीयती प्रथम पक्ष या कोई बार साबित होकर कब्जा द्वितिय पक्ष का उठ जावे तो

शशी बाला प्रथम पक्ष
(पटटा देहिन्दा)

न्यूॅ सतलुज ऐजुकेशन सोसायटी सिरसा पट्टा गरीन्दा द्वितिय पक्ष
बजरीया श्याम लाल सचदेवा सचिव

हर प्रकार की जवाब देही वा जिम्मेवारी प्रथम पक्ष की होगी, द्वितिय पक्ष ता मियाद पट्टा नामा भूमि को स्कूल के लिए प्रयोग करता रहेगा, भूमि स्कूल के ईलावा किसी अन्य तौर पर प्रयोग में नही ला सकेगा, यह पट्टा नामा अपनी स्थिर बुद्धि से लिख देते है कि सनद रहे दिनांकः 28-07-2025

विषय प्रलेख फरीकैन कथनानुसार रूबरू गवाहान बोलकर कम्पयुटर पर तैयार करवाया गया पढ़कर सुनाया वा समझाया गया सुनकर वा समझकर सही मानकर अपने-अपने हस्ताक्षर फरीकैन वा गवाहान ने किये है।

Drafted By-Vinod Beniwal Advocate Sirsa

शशी बाला प्रथम पक्ष
(पटटा देहिन्दा)

न्यूँ सतलुज ऐजुकेशन सोसायटी सिरसा पट्टा गरीन्दा द्वितिय पक्ष
बजरीया श्याम लाल सचदेवा सचिव

गवाही
सौरभ मैहता एडवोकेट सिरसा

गवाही
प्रवीन कुमार पुत्र श्री रघुबीर सिंह
निवासी प्रेम नगर सिरसा

Reg. No. **Reg. Year** **Book No.**

4642 2025-2026 1

पटटा देने वाला

पटटा लेने वाला

गवाह

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी

Joint-Sub Registrar
SIRSA

पटटा देने वाला :- शशी बाला

पटटा लेने वाला :- thru श्याम लाल सचदेवा सचिवOTHERन्यू सतलुज ऐजुकेश सोसायटी सिरसा

गवाह 1 :- सौरभ मैहता एडवोकेट

गवाह 2 :- प्रवीन कुमार

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 4642 आज दिनांक 28-07-2025 को बही नं 1 जिल्द नं 773 के पृष्ठ नं 182.75 पर किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही संख्या 1 जिल्द नं 12000 के पृष्ठ संख्या 40 से 42 पर चिपकाई गयी | यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहों ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगूठा मेरे सामने किये है |

दिनांक 28-07-2025

Joint-Sub Registrar
SIRSA
उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी सिरसा